राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(दूरभाष 0141-2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/ जयपुर, दिनांक 25.05.15

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के निरीक्षण के लिए आवंटित जिला प्रभारियों की फीडबैक बैठक दिनांक 25.5.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:-

1. जो योजना प्रभारी जिलों में अप्रेल व मई माह में नहीं गये है वह नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे। जो नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं गये है अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगें।

   (समस्त जिला प्रभारी)
2. अप्रेल माह में दिये गये फीडबैक के आधार पर तैयार की गयी अनुपालना रिपोर्ट सबको प्रेषित कर दी गयी है लेकिन अनुपालना अप्राप्त है। आगामी एक सप्ताह में इसकी अनुपालना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

   (समस्त जिला प्रभारी)
3. सभी जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा जिलों के निरीक्षण पश्चात आगामी सोमवार को संलग्न प्रोफार्मा में सूचना तैयार कर ईमेल (**Email-pdme2k_rdd@yahoo.com**) पर भिजवायें, इसी को मान्य किया जायेगा। इन रिपोर्टों के आधार पर संकलित रिपोर्ट परि. निदे.(एमएण्डई) द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी जिसके आधार पर बुद्धवार को प्रातः 11.00 बजे फीडबैक बैठक आयोजित होगी।

   (समस्त जिला प्रभारी)
4. निवर्तमान मा0 विधायकों के द्वारा कार्यों की अभिशंषा के निरस्त्रीकरण के अधिकार राज्य स्तर पर है, इसे जिला स्तर पर दिये जाने पर विचार किया जायें।

   (योजना प्रभारी)
5. सभी जिला प्रभारियों द्वारा जिलों में कार्मिकों द्वारा अनुशासहीनता, अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। जिस पर निर्देश दिये गये कि जिला प्रभारी अपनी अभिशंषा में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित करें।

   (समस्त जिला प्रभारी)
6. पंचायत दिवस एवं महात्मां गांधी नरेगा योजना के अवकाश दिवस (वर्तमान में बृहस्पतिवार) को एक दिवस को रखे जाने पर विचार किया जाए।

   (योजना प्रभारी)

7. जिला प्रभारी जो दिनांक 11–12 जून 2015 को जिलों में निरीक्षण हेतु जायेगे उनकी 17 जून 2015 को एवं 25–26 जून 2015 को जिलों में निरीक्षण हेतु जायेगे उनकी 1 जुलाई 2015 को फीडबैक बैठक होगी।

(समस्त जिला प्रभारी)

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
6. निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. निदेशक, मिड–डे–मील।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
9. समस्त जिला प्रभारी, ...
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को कार्यवाही विवरण वैबसाईड पर उपलोड करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)

जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट

अधिकारी का नाम

आवंटित जिला............................

निरीक्षण जिला............................

निरीक्षण का दिनांक.........................

राज्य स्तर

योजना का नाम	Recommendation
1. महात्मां गाधी नरेगा	
2.ग्रामीण विकास योजनाऐं	
3. पंचायतीराज योजनाऐं	
4.जलग्रहण योजना	
5.मिड–डे–मील	
6. अन्य	

जिला स्तर

योजना का नाम	Recommendation
1. महात्मां गाधी नरेगा	
2.ग्रामीण विकास योजनाऐं	
3. पंचायतीराज योजनाऐं	
4.जलग्रहण योजना	
5.मिड–डे–मील	
6. अन्य	